किशनगढ़

FORM NO III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आंग्लीकरण 11/10/2019

APP-A

Crim-1

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

मिश्री लाल पुत्र मोती जाति बैरवा। बनाम श्रीमती लुबा देवी w/o रंग लाल जाति बैरवा व अन्य।

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 382/2019 सन् 2019 (किशनगढ़) (जान)

2019/00382

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री राकेश अरोड़ा एड. श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
11.10.2019	यह अपील श्री राकेश अरोड़ा एड़वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी,किशनगढ़ के आदेश दिनांक 04.09.2019, प्रकरण संख्या 197/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व वाद खातेदारी घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। जो कि दिनांक 04.09.2019 को पक्षकार के उपस्थित होने के उपरान्त भी अन्तरिम रूप से अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित नहीं किए जाने में त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की आड़ में अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजीयात को अन्यत्र रहन, बय व मुन्तकिल की जा रही है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विरूद्ध रेस्पोडेन्टस प्रस्तुत किया गया है उक्त राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर ताफैसला वाद उक्त आराजीयात में अपीलांट के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग व बाधा उत्पन्न नहीं करने बाबत् एवं उक्त आराजीयात को बेचान नहीं किए जाने व वादग्रस्त आराजीयात के मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर रेस्पोडेन्टस की सुनवाई के उपरान्त भी आदेश पारित नहीं कर प्रथम दृष्टया उक्त बाबत् सम्पूर्ण रूप से फाईण्डिंग देते हुए अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक एवं अधिकारों के विपरीत आक्षेपित आदेश पारित नहीं किए जाकर पत्रावली को लम्बित किया हुआ है। न्यायालय हाजा के समक्ष अन्तर्गत धारा 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् अपील प्रस्तुत किये जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जाने के आदेश प्रदान करावें या अपील स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के आदेश दिनांक 04.09.2019 संशोधित फरमाया जाकर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजीयात को बेचान नहीं किए जाने व मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखते हुए पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को को प्रतिप्रेषित किये जाने के आदेश न्यायहित में जारी किये जावे। अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया गया। रिकार्ड अवलोकन से जाहिर है कि उभयपक्षों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर	लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

1क्र्र

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

382/19/225 भिरदीलाल बनाम श्रीमती दुर्गादेवी

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	2019/00382 श्री राकेश अरोड़ा श्री	
लगातार	विवादित आराजी यथास्थिति के आदेश से संरक्षित किया जाना न्यायसंगत है। चूंकि अपीलांटस/वादीगण ने अपने वाद पत्र में भी विवादित आराजी के सम्बन्ध में ग्राम पाटन के पंचगण के पर्चा, जमाबंदी आदि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य व सुनवाई होना है इसलिए न्यायहित में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवादित आराजी के भौतिक स्थिति एवं राजस्व अभिलेख को यथावत् रखा जाना न्यायहित में उचित है। **अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 60 दिवस में करें तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी खसरा नम्बर 412 रकबा 15 बीघा वाकै पाटन तहसील किशनगढ़ के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखेगें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण यदि 60 दिवस में नहीं किया जाता है तो न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी माना जायेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	